

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांक: - ब्लाडा (लेखा) 02/133/2017

/पटना, दिनांक मई, 2026

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, लखीसराय का पत्रांक 850 दिनांक 15.05.2026 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता/दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत	आधियाचित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6	7
2022-23	MLA	600.00	294.924	288.11096	97.68	382.69160	382.69160
	MLC	114.59					
	Total	714.59					
2023-24	MLA	600.00	480.00	413.24851	86.09	581.14077	434.15
	MLC	314.15					
	Total	914.15					
कुल							816.84160

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹677.61560 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹562.42095 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹108.41850 लाख रुपये तथा एस0टी0 मद- ₹6.77616 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹914.15000 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹767.88600 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹146.26400 लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ-7 में अंकित राशि यथा 2022-23 एवं 2023-24 के लिए कुल राशि ₹816.84160 लाख (आठ करोड़ सोलह लाख चौरासी हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, लखीसराय को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

- (1) आवंटित की जा रही राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है, अतएव इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही राशि को इस मद अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा व्यय की जा रही राशि को संबंधित वर्ष के लिए राशि प्राप्त/उपलब्ध होने के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लेखा में समायोजन करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- (3) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (4) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2025-26 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (6) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0/-

(रणजीत कुमार)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

/पटना, दिनांक 19 मई, 2026

ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/133/2017 255

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, लखीसराय को राशि **₹816.84160** लाख (आठ करोड़ सोलह लाख चौरासी हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र **Fund Transfer** करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN, SC एवं ST मद् के अनुसार ही राशि **CFMS** के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी